उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-13/379/एक-1-2016-1(50)/2014

लखनऊ: दिनॉक: 31 मार्च, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) के साथ सपठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 231 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनॉक 01 जुलाई, 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनॉक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 व 6 में उल्लिखित श्रेणी 6(4) पहाड़ खाते की भूमि, का पुनर्ग्रहण अनुसूची के उपरान्त अंकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन करते हुए सोलर पार्क की स्थापना हेतु अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मीरजापुर	सदर	कंतित	विजयपुर तप्पा-96	3488/12 मि.	101.175	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए सोलर पार्क की स्थापना हेतु।
2					3488/12 मि.	53.707	
				योग	**कुल 02 गाटा**	**154.882 हे0**	

इस आदेश की प्रतियॉं कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. प्रश्नगत भूमि सोलर पार्क की स्थापना हेतु नि:शुल्क पुनर्ग्रहण कर अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

-2-

shasnadesh.up.nic.in

विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखा जा रहा है। उक्त भूमि का उपयोग केवल सोलर पार्क की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। अन्य किसी प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा। उद्यान विभाग को उक्त भूमि की आवश्यकता न होने पर अतिशीघ्र राजस्व विभाग को वापस कर दिया जायेगा। प्रश्नगत भूमि को किसी व्यक्ति/संस्था को उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

3. सोलर पार्क की स्थापना हेतु अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पहाड़ के प्राकृतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-4787/2001 हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी आदि तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-38910/2003 इकबाल अहमद व अन्य बनाम डी0डी0सी0 देवरिया व अन्य में पारित आदेश का अक्षरशः अनुपालन हो रहा है। प्रश्नगत भूमि पहाड़ खाते में ही दर्ज रहेगी। उक्त भूमि का उपयोग केवल सोलर पार्क की स्थापना हेतु किया जायेगा। जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-379(1)/एक-1-2016-1(50)/2014 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर ।
4. जिलाधिकारी, मीरजापुर को उनके पत्र संख्या-961/जि0भू0व्य0लि0/2012-13/सोलर पार्क-पुनर्ग्रहण, दिनॉक 31.10.2014 एवं पत्र संख्या-995/जि0भू0व्य0लि0/भूमि-ग्राम सभा/2014, दिनॉक 30.12.2014 के सन्दर्भ में।
5. निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)

shasnadesh.up.nic.in

विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in